फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

शैलेन्द्र उपाध्याय बनाम लो.सू.अधि. आयुक्त, नगर निगम भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 82 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.11.2025	प्रार्थी / अपीलान्ट शैलेन्द्र उपाध्याय निवासी 119—ए, सवाई बृजेन्द्र सिंह नगर, मंडरपुर रोड, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयुक्त, नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेयर, नगर निगम भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षमे मेयर, नगर निगम भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	